न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

रोशन बनाम पल्टू

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2022	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.09.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी ख0नं0 639रकबा 0.14हे0, 955 रकबा 0.5200हे0, 336/656 भाग, 981 रकबा 0.32हे0, का 1/4 भाग, 108 रकबा 0.14हे0, 1307 रकबा 0.48हे0, 1315 रकबा 0.57हे0, 1318 रकबा 0.26हे0, 1319 रकबा 0.18हे0, 153 रकबा 0.24हे0, 154 रकबा 0.30हे0, 155 रकबा 0. 38हे0, 156 रकबा 0.75हे0, 505 रकबा 0.27हे0, 506 रकबा 0.09हे0, 522 रकबा 0.18 हे0, 809 रकबा 0.09हे0, 522 रकबा 0.18हे0, 809 रकबा 0. 09हे0, 815 रकबा 0.06हे0, 855 रकबा 1.11हे0, 867 रकबा 1.20हे0, 89 रकबा 0.29हे0, 931 रकबा 0.86हे0, 932 रकबा 0.38हे0, 957 रकबा 0. 26हे0 किता 20 रकबा 8.09हे0 सालिम, 980 रकबा 0.38हे0 का 1/12 भाग, 123 रकबा 0.32हे0, 129 रकबा 0.69हे0, 59 रकबा 0.50हे0, 60 रकबा 0.52हे0 किता 4 रकबा 2.03हे0 सालिम, 114 रकबा 0.24हे0, 120 रकबा 0.85हे0, 121 रकबा 0.24हे0, 122 रकबा 0.25हे0, 124 रकबा 0. 22हे0, 125 रकबा 0.15हे0, 126 रकबा 0.09हे0 किता 7 रकबा 2.04हे0 सालिम, 119 रकबा 0.68हे0, 130 रकबा 0.50हे0, 163 रकबा 0.51हे0, 42 रकबा 0.33हे0 किता 4 रकबा 2.02हे0 सालिम, 118 रकबा 0.48हे0 104/128 भाग वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढ़बास के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

	दिनांक 20.09.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	

20-9-22 वकील प्रार्थी उप०। वास्ते गौर तामील मे दिनांक 02-11-22 को पेश हों।

2-11-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~कलक्टर पधारे हैं~~।
उभय पक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 14-11-22 को पेश हो।

रीडर

14-11-22 वकील प्रार्थी उप०। रसीद P.O. पूर्व मे पेश हो चुकी है। वास्ते गौर तामील दि. 13-12-22 को पेश हो।

13/12/22 वकील प्रार्थी उप०। वास्ते गौर तामील दि. 5/1/23 को पेश हों।

05-01-23 वकील प्रार्थी उप०। प्रतिवादीगण की मुलवाद मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जा चुकी है। अत: पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29-8-2022 ता फैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर सलग्न मुलवाद रहे।